

IS 15700:2005



सेवात्म प्रमाणित  
पत्र सं०-  
रेगा मे०

## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग,  
नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।



दिनांक- १३/३/१७

6/४ / भिष्ट०/३/२०१६ | १५१५

मै० डी० एल० एफ० लि०,

डी० एल० एफ० सेन्टर,

संसद मार्ग, नई दिल्ली-११०००१।

**विषय:** इन्टीग्रेटेड आवासीय योजना के अन्तर्गत लखनऊ-रायबरेली राजमार्ग पर ग्राम-पुरसौनी तहसील-मोहनलालगंज में २५२.६९७ एकड़ की योजना में प्रस्तावित ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों की संशोधित मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

**महोदय:** मैसर्स डी० एल० एफ० लि० द्वारा इन्टीग्रेटेड आवासीय योजना के अन्तर्गत लखनऊ-रायबरेली राजमार्ग पर ग्राम-पुरसौनी तहसील-मोहनलालगंज में २५२.६९७ एकड़ की योजना में प्रस्तावित २२५०९.१४ वर्ग मी० के ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के संशोधित मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

- स्वीकृत निर्माण स्थल पर परिषद द्वारा अनमोदित डी.पी.आर. के अनुसार निर्गत तलपट में दर्शायी गयी भूमि पर ही किया जाना होगा। विवाद की स्थिति में तहसील, लखनऊ, द्वारा किया गया सीमांकन मान्य होगा व स्वीकृति में संशोधन के पश्चात ही निर्माण स्थल पर किया जाएगा।
- स्वीकृत मानचित्र की अवधि पौंछ वर्ष की होगी। दिनांक-३१/३/२०२२ तक, इस प्रतिबन्ध के साथ होगी कि मानचित्र निर्गत होने की तिथि से एक माह में विकासकर्ता एवं अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-४, लखनऊ द्वारा समन्वय कर परफार्मेंस गारंटी बन्धक पत्र निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए अन्यथा मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।
- स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति प्रस्तावित कुल तलों का क्षेत्रफल ३६७१७.५७ वर्ग मी० (जी०+३+ममटी) में से ९४२०.५३ वर्ग मी० क्षेत्रफल के भू-तल हेतु निर्माण के लिए २२५०९.१४ वर्ग मी० के भूखण्ड पर प्रदान की गयी है।
- भू-तल का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त (सम्बन्धित खण्ड से पुष्टि के पश्चात) शेष निर्माण की अनुवर्ती तलों पर स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान की जा सकेगी। (स्वीकृत मानचित्र सलंगन है।)
- भूखण्ड पर निर्माण ग्राम्य करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई-४, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को निर्माण ग्राम्य करने से पूर्व १४ दिन यहले देनी होगी। निर्माण आरम्भ होने के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-४ को प्रत्येक माह की मासिक प्रगति की रिपोर्ट कार्यालय मुख्य वास्तुविद नियोजक को उपलब्ध करायी जानी होगी।
- मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक-६७९/एफ०एस०-१२ दिनांक-२४.०५.२०१६ द्वारा प्राप्त प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है। एवं भवन के निर्माण के अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है। एवं भवन के निर्माण के पश्चात तथा उपयोग से पूर्व स्थानीय उपनिदेशक उ० प्र० फायर सर्विसेज लखनऊ, से पुनः अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा।
- निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामन्य के द्वारा सुप्राप्ति अवलोकित किया जा सके।
- निजी विकासकर्ता के शेयर होल्डिंग अथवा सम्पत्ति आवंटन से सम्बन्धित विवादों/मुकदमों में राज्य सरकार अथवा इसके अधिकारण पक्षकार नहीं होंगे, ऐसे वादों का निस्तारण "सिविल कोर्ट ऑफ लॉ" में ही सुनिश्चित किया जाना होगा।
- विकासकर्ता द्वारा सलंगन प्रारूप पर पूर्णतया प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी सलंगन करना होगा। समयावधि तत्पश्चात निर्माण कार्य यथामानक सही पाये जाने पर ही पूर्णतया प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
- कम से कम २०० वर्गमी० क्षेत्रफल पर एक पेड़ की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
- रेनवाटर हार्डिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से करना होगा।
- रुक्टार्प सोलर फोटोवाल्टिक पावर प्लाट्ट की स्थापना भवन के कुर्सी क्षेत्रफल के न्यूनतम २५ प्रतिशत रुक्टार्प परिया पर अनिवार्य रूप से की जायेगी। भूकम्परोधी शासनादेश सं० ५७०-९-आ-१२००१ (भूकम्परोधी/२००१/आ.बा.) दि०-३.२.२००१ एवं सं० ३७५१/९-आ-भूकम्परोधी/२००१/(आ.बा.) दि०-२०.७.२००१ के अन्तर्गत शर्त/सेट के एक मानचित्र के पृष्ठ भागों पर चस्पा की गयी है, जिनका अनुसरण करना होगा।

क्रमांक: २

14. विकासकर्ता द्वारा भारतीय विमानपत्रनम् का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है, जिसके सम्बन्ध में विकासकर्ता को निर्देशित करते हुए मानचित्र इस प्रतिबंध के साथ खोलौट किया जाता है, कि युप्र हाउसिंग भूखण्ड पर प्रस्तावित निर्माण उक्तानुसार सीमा तक ही किया जा सकता है, अन्यथा छः महीने के अन्दर उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रत्युत्त करने पर ही अनुवर्ती तलों पर ऊँचाई का निर्माण किया जा सकेगा।
15. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के भाग (STRUCTURAL) प्राविधानों के अन्तर्गत कहते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बन्धी अन्य समस्त प्राविधानों को खानीय मुख्य आग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।
16. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई-4 के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण स्त्रीकृत मानचित्र के अनुरूप रथल प्रेर किया जा रहा है।
17. प्रश्नगत भूमि पर निर्माण के पश्चात् भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 परिशिष्ट-6 प्रपत्र-ब के अनुसार अध्यासन से पूर्व पूर्णतया प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
18. शासनादेशों के अनुपालन में शासन स्तर पर ई डब्ल० एस० एवं एल० आई० जी० के भवनों के निर्माण प्रगति समीक्षा हेतु विकासकर्ता द्वारा मौसिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह कार्यालय मुख्य वास्तुविद नियोजक को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायी जानी होगी।
19. मै० डी.एल.एफ.लि. की रायबरेली-लखनऊ राजमार्ग पर स्थित ग्राम पुरसैनी में इण्टीग्रेटेड आवासीय योजना के भू-उपयोग परिवर्तन एवं भू-उपयोग शुल्क की देयता के सम्बन्ध में प्रकरण शासन स्तर पर विवाराधीन है, अतः शासन स्तर से यदि भू-उपयोग शुल्क लिए जाने के निर्णय लिया जाता है तो विकासकर्ता को देना होगा, जिस हेतु विकासकर्ता द्वारा पूर्व में शास्त्र पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।
20. विकासकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी गयी बैंक ग्राहकी रु० 6261.52 लाख व बन्धक रखी जाने वाली भूमि भवन निर्माण के साथ-साथ अनुपातिक रूप में अवमुक्त की जाएगी।
21. विकासकर्ता को ई.डब्ल०.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के तल क्षेत्रफल के समतुल्य आवासीय उपयोग का निशुल्क एफ.ए.आर. जो बैंसिक एफ.ए.आर. +क्य-योग्य एफ.ए.आर. के अतिरिक्त होगा, द्रान्सफरेबल आधार पर अनुमन्य होगा, जिसके सापेक्ष समानुपातिक रूप से इकाईयों भी अनुमन्य होगी।
22. अतिरिक्त एफ.ए.आर का उपयोग ई.डब्ल०.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर ही अनुमन्य होगा।
23. ई.डब्ल०.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का आवंटन उक्त आय वर्गों के लाभार्थियों को आवास आयुक्त की अध्यक्षता में शासन द्वारा गठित समिति, जिसमें जिलाधिकारी तथा विकासकर्ता के प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे, के माध्यम से किया जायेगा। अथवा आवंटन/निरतारण प्रभावी शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।
24. ई.डब्ल०.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों को लाभार्थी द्वारा विक्रय/हस्तान्तरण पर रोक लगाने हेतु सुसंगत अधिनियमों में व्यवस्था की जायेगी।
25. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होंगे।

**सर्वरूपक:**

1. आर्कोटैक्चरल मानचित्रों का एक सेट (शीट्स)
2. रस्क्वरल डिजाइन्स का एक सेट (०५ नग शीट्स)
3. रस्क्वरल व कैलकुलेशन का एक सेट।
4. पूर्णतः प्रमाण पत्र का प्रारूप-ब।

24.

(संजीव कश्यप)  
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

दिनांक

सं० / उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. अधीक्षण अभियन्ता— तृतीय वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उक्त मानचित्र के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई-०४ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को मानचित्रों के एक सेट सहित।
3. उप निदेशक, उ० प्र० फायर सर्विसेज, लखनऊ को प्रपत्र -च सृहित।

(संजीव कश्यप)  
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी